कार्यालय नगर पंचायत, अमरपुर(बाँका)

Email: amarpur.nagarpanchiyat@gmail.com

आम सूचना

स्वच्छ साथी चयन हेतु

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक--4081, दिनांक—26.12.2024 के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश के आलोक में स्वच्छता साथी का चयन किया जाना है जिसकी विवरणी निम्नवत् है–

स्वच्छता साथी कौन होंगे–

(1) स्वच्छता साथी कोई भी भारतीय हो सकता है, परन्तु लोकल व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(2) अभ्यार्थी की उम्र 40 से अधिक ना हो तथा मैट्रिक पास होना चाहिए।

(3) अभ्यार्थी की आवाज साफ हो ताकि वे अच्छे से Communicate कर सके।

(4) अभ्यार्थी को स्वच्छता से संबंधित कार्यों में कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

(5) अभ्यार्थी के रूप में Waste Picker,Citizen Leader,SHG member,Swachhagarhi, Sanitation Worker,Brand Ambassadors एवं NULM,ASHA,Anganwadi Worker,NGOs youth,Community Based Organizations RWAs से संबंधित व्यक्ति या अन्य कोई भी आवेदन कर सकते है।

(6) नगर पंचायत अमरपुर में कुल 05 स्वच्छता साथी का चयन किया जाना है।

(7) अभ्यार्थी अपना CV अपने साथ अनिवार्य रूप से लाएंगे।

(8) साक्षात्कार दस्तावेज सत्यापन के उपरांत चयनित अभ्यार्थियों की सुची प्रकाशन के बाद दिनांक—15.02.2025 को नगर पंचायत अमरपुर के कार्यालय में 12:00 pm से आयोजित की जायेगी।

(9) अभ्यार्थी अपना आवेदन दिनांक– 14.02.2025 तक नगर पंचायत अमरपुर कार्यालय में सुश्री अभिलाषा अपूर्वा सहा. लो. स्व. एवं अप. प्रबंधन पदाधिकारी के पास जमा करेंगे।

(10) सभी अभ्यार्थी अपना मूल दस्तावेज (यथा—अपने संबंधित मूल प्रमाण पत्र अंक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड के साथ आवशयक आएंगे।

स्वच्छता साथी के चयन का उद्देश्य–

(1) शहर को कचरा मुक्त बनाने, नागरिकों की भूमिका के लिए नागरिकों को जागरूक करना एवं उन्हें उत्तरदायी बनना ।

(2) नगरिकों के बीच triggering करना और कचरे के लिए असहिष्णुता की भावना को बढ़ाना ।

स्वच्छता साथी के कार्य की जिम्मेदारी

(1) अपने संबंधित वार्ड के सभी घरों का भ्रमण करना एवं स्वच्छता से संबंधित जानकारी जुटाना।

(2) घर के मुखिया को waste Segregation एवं Home Composting करने हेतु प्रेरित करना ।

(3) वार्ड में समाज छोटे स्तर पर छोटे – समूह की बैठक

(4) SHG के समूह की होने वाली Monthly बैठक में सम्मिलित होना

(5) वार्ड में समाज के प्रबुद्ध एवं प्रमुख व्यक्तियों को Citizen Leader के तौर पर तैयार करना ।

Scanned with OKEN Scanner

स्वच्छता साथी को मिलने वाले लाभ–

(1) कार्य अवधि पांच घंटे प्रतिदिन न्यूनतम होगी।

(2) प्रत्येक स्वच्छ साथी को प्रत्येक वर्ष में 200 दिनों के लिए engage किया जाएगा।

(3) 200 कार्य दिवस प्रत्येक माह में 20 दिन का होगा जो वर्ष के किसी भी 10 माह (स्वच्छ सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए) में मान्य होगा।

(4) स्वच्छता साथी को Contractual Basis पर एक वर्ष के लिए engage किया जाएगा , जिसकी अवधी अक्टूबर,2026 तक बढ़ाई जा सकती है।

(5) प्रतिदिन रू0 300.00 के दर से प्रतिमाह 20 दिन का मानदेय 300X20= 6000.00रू0 मानदेय के रूप में देय होगा।

(6) मानदेय कर्मी के Bank Account में ही भेजा जाएगा।

(7) किये गये कार्य की समीक्षा प्रत्येक माह की जाएगी एवं लगातार तीन माह तक कार्य संतोषजनक नहीं होने पर हटाने की कार्रवाई की जा सकती है।

(8) उक्त कार्य हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

नोटः– यह किसी भी प्रकार से स्थायी चयन नहीं है, अतः भविष्य में किसी भी तरह का स्थायीकरण से संबधित दावा एवं आपत्ति मान्य नहीं होगा।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, अमरपुर

Abhilasha
APSWMO
05/02/25